

205

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

संवा में,

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उल्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3426/76/एक/एवीएम्बायोवाई/2013-14, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में रेखी गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-चन्दौली की न०पा०प०, मुगलसराय की ०३ परियोजनाओं, जनपद-ओरेया की न०पा०प०, ओरेया की ०३ परियोजनाओं एवं जनपद-बस्ती की न०पा०प०, बस्ती की १० परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य हेतु कुल १६ परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-629/26-ब०प्र०-2013-30(बजट)/2013, दिनांक 06 नवम्बर, 2013 द्वारा रु० 491.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० 245.805 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बस्ती की न०पा०प०, बस्ती की ०३ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ के अनुसार रु० ५१.२६५ लाख (रूपये इक्यावन लाख छब्दीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखितशर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहधे स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13/4(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ACJ (लाल)
15/7/15ACJ/7
6pm

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शही/योजना के प्राप्तिकर्त्ता व अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनावत्तमात् बार्ये ६ विशेषियों, भानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार बगड़े जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ संचय लेता स्थानीय निवासियों को भिल सके।
4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित हड्डा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित हड्डा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शही निकाय से अनुमोदि जाना के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्याय प्रत्येक दूसरे अर्थ कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं देगा। सामग्री/उपकरण का कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। रेतीकरण एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की जातियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूरी दायित्व सम्बन्धित राज्यान्वयन/सम्बन्धित हड्डा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुत्रिका के सुधारणा विधियों, राज्य-शासन पर वार्ता द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व मूल हारा यह सुनिश्चित का लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगामी का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.01.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विभाग की लागत सीमा को कम बनने के नहीं है और अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अधिकारी विधियों को कम करके लागत आकलित रही गई है।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्वयन स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा विदेशी भारत द्वारा से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में राजितान्वयन है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अत्यथ की स्थिति में राज्यपुत्र भवानी तत्वागत राजकार्य में जगा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत प्रायोजनादेश से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सड़ा/हड्डा द्वारा सुनिश्चित विश्वा जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण विदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उल्लास, लग्नालड, दूर्योग सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिरक्षणात्मक क्रिया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संघर्ष, तिथि तथा लेखारीखक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुमति नहीं देना धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनानाम प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मिलिन बस्तियों गंगी0सी0 रोड/इण्टरलाइंकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों द्वारा सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
[Signature]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-659/2015/1608/69-1-2015 तिथिनाम।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी हायड मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठ्यां तल, संगम प्लेस, सिलिंग लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, वस्ती।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकाश्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड, फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

भाजा से,

[(Signature)]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या ५३/२०१५/१६०८/६९-१-२०१५-३०(बजट)/१३ दिनांक १३ जुलाई, २०१५ का रात्रि, १०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वाड़ का नाम	परिवाजन की कुल लम्बत	प्रतीय/अंतिम फिल वे रूप मै इवीट्टोरे सोरग प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	न०पा०प०, बस्ती	रौतापुर में सुधाकर के घर से जगरीश का घर होते हुए आर०ड००, विनोद व जैराज के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	39.61	19.805
2	बस्ती	न०पा०प०, बस्ती	मलिन बस्ती रौतापुर से रत्नेश के मकान के बगत से दिनेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	34.54	17.27
3	बस्ती	न०पा०प०, बस्ती	रौतापुर में दिनेश के मकान से राज चन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	22.38	11.19
योग				102.53	51.26

(रूपये इकायावन लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र)

लूप्त
(एक०प०० मिल)
दिशेश मैट्रिक्स